न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 32/2013(जी.सी.एम.एस. 2012/00019) पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. हुकम सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जाट नि0 ग्राम शाहपुर तहसील डीग
2. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रमनलाल जाति वैश्य नि0 कस्बा डीग तहसील डीग
3. केहरी सिंह पुत्र आशाराम जाति खटीक नि0 कस्बा डीग तहसील डीग
4. जीतेन्द्र पुत्र ताराचन्द जाति खटीक नि0 कस्बा डीग तहसील डीग
5. द्रोपा पत्नी इन्दर सिंह जाति जाट नि0 नगर रोड कस्बा डीग तहसील डीग

–सायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

–असल अप्रार्थी

2. चन्द्रवती पुत्री कमल सिंह जाति जाट नि0 रणजीत नगर भरतपुर
3. उमादेवी पत्नी दिनेशचन्द जाति वैश्य नि0मेला ग्राउण्ड कस्बा डीग
4. कैलाशचन्द पुत्र राधारमन
5. चन्द्रभान पुत्र राधारमन } जाति ब्राह्मण नि0 नगर रोड कस्बा डीग तहसील डीग
6. रामबाबू पुत्र रामफल जाति माली नि0 मौ0 भूड़ा गेट कस्बा डीग तहसील डीग
7. नगर पालिका डीग जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीग

–तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एवं 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांकः 29.08.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111एवं 128 एल.आर.एक्ट इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 3022/0.68, वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त खसरा नम्बर 3022 वाके कस्बा डीग द्वितीय को बन्दोवस्त हाल में गत खसरा नम्बर 1033/0–17, 1035/0–13, 1036/1–2, 1041/0–13, 1042/1–2, 1038/0–10, 1043/0–12 वाके अचलपुर तहसील डीग से बनाया गया है। उक्त नवीन आराजी खसरा नम्बर 3022 के पूर्व खातेदार सुक्खा व रामफल पिस0 मूली,राजाराम पुत्र गिरवर,मांग्या पुत्र रामसिंह जाति माली नि0 कस्बा डीग तहसील डीग थे जो उक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज थे। उक्त साविक खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 चन्द्रवती,उमादेवी,कैलाशचन्द,चन्द्रभान,रामबाबू को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पृथक पृथक बेचान किया है और वेचान के बाद से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि में अपने उपयोग व उपभोग हेतु सुविधानुसार निर्माण किये हुए है जिन पर वे बतौर मालिक काबिज है। नवीन खसरा नम्बर 3022/0.68 बाके कस्बा डीग द्वितीय आवादी डीग से भिडा हुआ नवीन खसरा नम्बर 3022/1.36 हैक्टे0 बाके कस्बा डीग द्वितीय है। बन्दोवस्त हाल में उक्त खसरा नम्बर 3021/1.36 हैक्टे0 को गत खसरा नम्बर 1029/1–4,1031/0–11, 1032/3–1, 1039/1–9 का कुल रकबा 6 वीघा 18 विस्वा होता है जबकि नवीन पैमाईश में उक्त नवीन नम्बर 3021का रकबा बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तरीके पर 1.36 हैक्टे0 दर्शाया गया जोकि गत रकवा 6 वीघा 18 विस्वा के मुकावले 0.26 हैक्टे0 अधिक दर्ज किया गया है तथा उक्त नवीन नम्बर 3021 व 3022 का नक्सा भी बन्दोवस्त विभाग द्वारा उनके गत खसरा नम्बरान के नक्से के मुताविक नहीं बनाया गया है, क्योंकि गत नक्सा पूर्व बन्दोवस्ती सम्बत 1982 में नवीन नम्बर 3021 के गत खसरा नम्बरान 1029, 1031, 1032, 1039, 1040 को आबादी डीग की सीमा व तरफ उत्तर से चलकर व तरफ दक्षिण तक गत खसरा नम्बरान 1033, 1034, 1035, व 1036 की उत्तरी मेड तक दर्शाया गया है और इसी प्रकार नवीन खसरा नम्बर 3022 के गत खसरा नम्बरा 1033, 1035, 1036, 1014, 1042, 1038 व 1043 को सम्बत 1982 के गत नक्सा में व तरफ उत्तर गत नम्बर 1040 की दक्षिण मेड से दक्षिण की तरफ डीग नगर सडक की पश्चिमी दीवार से सटा हुआ दर्शाया गया है और इसी अनुसार खसरा नम्बर 3021 के गत नम्बरान गै0मु0 टीला व वुर्ज तथा मरघट के उपयोग में आ रहा है और इसी प्रकार खसरा नम्बर 3022 को गत नम्बरान के गत नक्सा के मुताविक इसके पूर्व खातेदारान द्वारा उपयोग व उपभोग में लिया जाता रहा है। **अतः निवेदन है कि** प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नवीन खसरा नम्बर 3021 व 3022 वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग के नक्सा अक्स हाल मुताविक साविक नक्सा संशोधित (तरमीम) किया जाकर साविक नक्सा बन्दोवस्ती सम्बत 1982 के अनुसार तरमीम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल/तहसीलदार डीग द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि गत खसरा नम्बर 1036 का रकबा 1.2 नहीं होकर 0.07 वीघा है। खसरा नम्बर 3022 में वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 2 से 6 काबिज वताकर प्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा सुविधानुसार निर्माण कराना वताया है, जबकि ख0 नम्बर 3022 के सटे हुए गै0 मु0 शमशान ख0 नम्बर 3021/1.36 की सीमा में 30 गट्ठा वड जाता है, जिससे ख0 नम्बर 3021/1.36 गै.मु. शमशान का क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, चूँकि 3022 के दक्षिण दिशा में लगता हुआ 3021/1.36 गै.मु. शमशान है। अतः 30 गट्ठा 50 गट्ठा उनवानी हुकम सिंह ने अतिक्रमण कर पक्की होटल व रैस्टोरेण्ट बना रखा है। जोकि खसरा नम्बर 3021/1.36 गै.मु. शमशान की सीमा में है। जबाव गैर सायलान प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील सायलान की बहस पर मनन किया।

बहस के दौरान **सायलान के विद्वान वकील** द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि नवीन खसरा नम्बर 3021 व 3022 वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग के नक्सा अक्स हाल मुताविक साविक नक्सा संशोधित (तरमीम) किया जाकर साविक नक्सा बन्दोवस्ती सम्बत 1982 के अनुसार तरमीम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन तथा वकील सायलान की बहस पर मनन किया गया। गत खसरा नम्बर 1036 का रकबा 1.2 नहीं होकर 0.07 वीघा है। खसरा नम्बर 3022 में वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 2 से 6 काबिज वताकर प्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा सुविधानुसार निर्माण कराना वताया है, जबकि ख0 नम्बर 3022 के सटे हुए गै0 मु0 शमशान ख0 नम्बर 3021/1.36 की सीमा में 30 गट्ठा वड जाता है, जिससे ख0 नम्बर 3021/1.36 गै.मु. शमशान का क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, चूँकि 3022 के दक्षिण दिशा में लगता हुआ 3021/1.36 गै.मु. शमशान है। अतः 30 गट्ठा 50 गट्ठा उनवानी हुकम सिंह ने अतिक्रमण कर पक्की होटल व रैस्टोरेण्ट बना रखा है। जोकि खसरा नम्बर 3021/1.36 गै.मु. शमशान की सीमा में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128 एल.आर.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128 एल.आर.एक्ट, अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को लिखायां जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ डीग जिला डीग (राज.)

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner